न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/98/2022
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/344
प्रवेश तिथि 16.08.2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा, ग्राम–सैंथल, पोस्ट–प्रागपुरा वाया रैणी, जिला–अलवर (राज.)–301702		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी व भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 19.09.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 08.08.2022 के माध्यम से न्यायालय के पूर्व अपील प्रकरण संख्या 12/90/2022 के संबंध में आक्षेप कर निर्णय पारित करते हुए वांछित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति दिलाने बाबत अनुरोध किया है।
4. उक्त प्रा0पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस कर जवाब चाहा गया जो अप्राप्त रहा।
5. अपीलार्थी के प्रा0पत्र दिनांकः 08.08.2022 का परीक्षण किया गया। उक्त प्रा0पत्र के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा, पूर्व अपील सं. 12/90/2022 के अनुसरण में प्रेषित सूचना/जवाब–पत्र सं. प.12–1(12)राजस्व/भूमि अवाप्ति/20125–20126 दिनांकः 02.08.2022 (मूल रूप में अपलीर्थी को प्रेषित करते हुए प्रति न्यायालय को पृष्ठांकित) पर आक्षेप व्यक्त किया गया है जो कि एक अपील प्रा0पत्र ना होकर विविध प्रा0पत्र मात्र है जो कि सहवन से न्यायालय में अपील के रूप में दर्ज हो गया है।
6. चूँकि अपील प्रकरण संख्या 12/90/2022 न्यायालय द्वारा दिनांकः 23.08.2022 को पूर्व में ही निर्णित किया जा चुका है जिससे प्रश्नगत प्रा0पत्र दिनांकः 08.08.2022 पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 में उपलब्ध विविध अपील प्रावधानों का अवलोकन कर अपेक्षित कार्यवाही करे।
7. अतः प्रा0पत्र दिनांकः 08.08.2022 विविध प्रा0पत्र के आलोक में खारिज कर निस्तारित किया जाता है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 19.09.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)